दि: 11.2.2022

## फॉर्म एन एल -43-ग्रामीण एवं सामाजिक दायित्व (तिमाही विवरणियाँ)

|  | बीमाकर्ता: ईसीजीसी लि. | 31.12.2021 को समाप्त तिमाही तक |
|--|------------------------|--------------------------------|
|--|------------------------|--------------------------------|

(राशि रु. लाख में )

| (सारा राजन)                                   |                              |                    |                                       |                        |                        |  |  |
|---|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| ग्रामीन एवं सामाजिक दवित्व (तिमाही विवरणियाँ) |                              |                    |                                       |                        |                        |  |  |
| क्र.सं.                                       | कार्य क्षेत्र                | विवरण              | जारी किए गए<br>पॉलिसीयों की<br>संख्या | अर्जित<br>प्रीमियम     | सुनिश्चित राशि         |  |  |
| 1   | अग्नि                        | ग्रामीण<br>सामाजिक | लागू नहीं<br>लागू नहीं                | लागू नहीं<br>लागू नहीं | लागू नहीं<br>लागू नहीं |  |  |
| 2   | मरीन कार्गो                  | ग्रामीण<br>सामाजिक | लागू नहीं<br>लागू नहीं                | लागू नहीं<br>लागू नहीं | लागू नहीं<br>लागू नहीं |  |  |
| 3   | कार्गों के अलावा मरीन        | ग्रामीण<br>सामाजिक | लागू नहीं<br>लागू नहीं                | लागू नहीं<br>लागू नहीं | लागू नहीं<br>लागू नहीं |  |  |
| 4   | मोटर ओ डी                    | ग्रामीण<br>सामाजिक | लागू नहीं<br>लागू नहीं                | लागू नहीं<br>लागू नहीं | लागू नहीं<br>लागू नहीं |  |  |
| 5   | मोटर टी पी                   | ग्रामीण<br>सामाजिक | लागू नहीं<br>लागू नहीं                | लागू नहीं<br>लागू नहीं | लागू नहीं<br>लागू नहीं |  |  |
| 6   | स्वास्थ्य                    | ग्रामीण<br>सामाजिक | लागू नहीं<br>लागू नहीं                | लागू नहीं<br>लागू नहीं | लागू नहीं<br>लागू नहीं |  |  |
| 7   | व्यक्तिगत दुर्घटना           | ग्रामीण<br>सामाजिक | लागू नहीं<br>लागू नहीं                | लागू नहीं<br>लागू नहीं | लागू नहीं<br>लागू नहीं |  |  |
| 8   | यात्रा                       | ग्रामीण<br>सामाजिक | लागू नहीं<br>लागू नहीं                | लागू नहीं<br>लागू नहीं | लागू नहीं<br>लागू नहीं |  |  |
| 9   | कामगार मुआवजा/नियोक्ता देयता | ग्रामीण<br>सामाजिक | लागू नहीं<br>लागू नहीं                | लागू नहीं<br>लागू नहीं | लागू नहीं<br>लागू नहीं |  |  |
| 10  | सार्वजनिक/उत्पाद दायित्व     | ग्रामीण<br>सामाजिक | लागू नहीं<br>लागू नहीं                | लागू नहीं<br>लागू नहीं | लागू नहीं<br>लागू नहीं |  |  |
| 11  | इंजीनियरिंग                  | ग्रामीण<br>सामाजिक | लागू नहीं<br>लागू नहीं                | लागू नहीं<br>लागू नहीं | लागू नहीं<br>लागू नहीं |  |  |
| 12  | विमानन                       | ग्रामीण<br>सामाजिक | लागू नहीं<br>लागू नहीं                | लागू नहीं<br>लागू नहीं | लागू नहीं<br>लागू नहीं |  |  |
| 13  | अन्य खंड <sup>(a)</sup>      | ग्रामीण<br>सामाजिक | लागू नहीं                             | लागू नहीं              | लागू नहीं<br>लागू नहीं |  |  |
| 14  | विविध                        | ग्रामीण<br>सामाजिक | लागू नहीं<br>-                        | लागू नहीं<br>-         | - 1917                 |  |  |
|   | कुल                          | ग्रामीण            | -                                     | -                      | -                      |  |  |
| _   | 3.7                          | सामाजिक            | -                                     | -                      | -                      |  |  |

<sup>(</sup>क) खंड/उप-खंड हेतु अलग प्रकटीकरण किया जाना है जहां कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 10 प्रतिशत से अधिक का योगदान है

<sup>(</sup>ख ) एकत्रित प्रीमियम का अर्थ है सकल प्रत्यक्ष लिखित प्रीमियम

<sup>(</sup>सी) ग्रामीण एवं सामाजिक खंडों को आई आर डी ए आई नियमों के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जैसा कि समय-